बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन
राजस्थान

संशोधित आनियम, 1998

(पूर्व आनियम वर्ष 1964 एवं 1974 के आनियमों का
संशोधित स्वरूप)

प्रकाशक

बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन, राजस्थान

महावीर उद्यान के पास
बजाज नगर, जयपुर (राज.)

बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन, राजस्थान

संशोधित आनियम 1998

[प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 30 जनवरी, 1964 में प्रकाशित]

1. राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम सन् 1953 एक्ट सं. 5 धारा 43 के अनुसरण में बोर्ड द्वारा निर्मित आनियम दिनांक 30 जनवरी, 1964 एवं संशोधन दिनांक 28 नवम्बर, 1974, 1 अगस्त, 1974, 29 अगस्त, 1974 जो राजस्थान राज-पत्र नवम्बर 28 सन् 1974 भाग 4 (ग) में प्रकाशित हुए थे तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाते हैं।

2. बोर्ड द्वारा प्रानिर्मित व प्रस्वीकृत ये समस्त आनियम बोर्ड के निर्णय दिनांक 24-3-98 से तुरन्त प्रभावशील होंगे।

अध्याय-1

1. **प्रशिक्षण**:-बोर्ड अपने द्वारा पंजीकृत इच्छुक चिकित्सकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था अपने स्तर पर या किसी मान्यता प्राप्त संस्था के यहां प्रारम्भ करवा सकता है।

2. **औषधालय प्रबन्धन डिप्लोमा एवं प्राकृतिक योग चिकित्सा डिप्लोमा**:-भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नियम 1970 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित योग्यताधारियों के लिए एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स औषधालय प्रबन्धन हेतु दिया जा सकेगा। इसके लिए बोर्ड अपने सदस्यों में से एक शिक्षण समिति का निर्माण कर उससे स्वीकृत करा कर पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकेगा। इसी प्रकार राज्य में, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर सकेगा।

3. **पुरातत्व ज्ञान की रक्षा**:-प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में केवल स्थानीय वनस्पतियों के द्वारा परम्परागत विधि से परम्परागत रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे व्यक्तियों के अनुभवों को प्राप्त कर उसे वैज्ञानिक स्वरुप देकर सम्पूर्ण आयुर्वेद जगत् के लिए प्रसारित कर प्रकाशित किया जायेगा। आयुर्वेद के दुर्लभ ग्रंथों की रक्षा की जावेगी।

4. **आयुर्वेद जनों का सम्मान**:-बोर्ड हर वर्ष अपने स्तर से प्रदेश के उन आयुर्वेद चिकित्सकों का सम्मान करेगा, जिन्होंने आयुर्वेद विज्ञान के लिए वर्ष भर में कोई अति विशिष्ट कार्य किया हो।

5. **रोग सम्बन्धी कार्यशालाओं का आयोजन**:-बोर्ड अपने स्तर से विभिन्न रोगों के सम्बन्ध में निदान एवं चिकित्सा हेतु तथा अनुसंधान परिणामों से परिचय कराने हेतु आयुर्वेद के समस्त विषयों पर वैज्ञानिक कार्यशालाओं का आयोजन करेगा । वनोषधियों के सम्बन्ध में कार्यशाला एवं वनोषधि संरक्षण हेतु कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

6. **जन स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम**:-राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रमों में बोर्ड सहयोग प्रदान करेगा । टीकाकरण, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य रक्षण जैसे कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग बोर्ड द्वारा दिया जाएगा ।

7. **छात्रवृत्ति और अनुग्रह राशि का निर्धारण**:-राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम 1953 की धारा 47 की उप-धारा (2) एवं (4) के अनुसार मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और चिकित्सा संस्थाओं को तथा आयुर्वेद विद्वानों/हकीमों को अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रयास करेगा ।

8. **शोध पत्रिका एवं आयुर्वेद साहित्य प्रकाशन**:-बोर्ड रजिस्टर्ड चिकित्सकों के ज्ञान वृद्धि हेतु आयुर्वेद साहित्य एवं पत्रिका का प्रकाशन करेगा ।

अध्याय–2

अधिवेशन प्रकरण

9. **अधिवेशन का समय व स्थान**:-बोर्ड एवं समितियों के वर्ष में कम मे कम अनिवार्य रूप से चार अधिवेशन अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्दिष्ट तिथियों में होंगे ।

10. आवश्यकता होने पर अतिरिक्त अधिवेशन भी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से हो सकेंगे ।

11. अधिवेशन अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर होंगे ।

12. (क) अधिवेशन तिथि की सूचना अनिवार्यतया अधिवेशन तिथि से 20 दिन पूर्व रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी द्वारा बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी जावेगी ।

(ख) अत्यावश्यकता होने पर अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार अधिवेशन तिथि की सूचना एक सप्ताह पूर्व भी दी जाकर बोर्ड व समितियों का अधिवेशन बुलाया जा सकेगा ।

13. यदि अध्यक्ष महोदय परमावश्यक व उचित/समझें तो अधिवेशन के बिना भी किसी तात्कालिक विषय विशेष पर टेलीग्राम/या पत्र द्वारा भी बोर्ड के सदस्यों के विचार जान बहुमतानुसार निर्णय ले सकते हैं।

14. बोर्ड किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए आवश्यकता होने पर अन्य कतिपय योग्य एवं विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।

15. प्रत्येक अधिवेशन का सूचना पत्र जिसमें तिथि, समय, स्थान का उल्लेख होगा प्रत्येक सदस्य को बोर्ड के रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी द्वारा भेजा जाएगा।

16. अधिवेशन में विचारणीय विषय, विगताधिवेशन की कार्यवाही का विवरण भी सूचना पत्र के साथ ही अनिवार्यतया संलग्न कर भेजा जाएगा।

17. कोई भी सदस्य यदि कोई प्रस्ताव या सुझाव बोर्ड में विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहे तो अधिवेशन तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व उसे बोर्ड के रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी के पास भेजना अनिवार्य होगा। इससे कम अवधि में प्राप्त प्रस्ताव या सुझाव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा किन्तु अध्यक्ष महोदय आवश्यक समझें तो ऐसे प्रस्ताव या सुझाव पर अधिवेशन में विचार किया जा सकेगा।

18. अधिवेशन में ऐसे विचारार्थ प्राप्त प्रस्तावों की प्रतिलिपि अधिवेशन तिथि से सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य के पास रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी जावेगी।

19. किसी भी सदस्य को यदि प्रेषित विगताधिवेशन कार्यवाही विषयक कोई आपत्ति होने, संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन अपेक्षित हो तो कार्यवाही प्राप्ति तिथि से सात दिवस के अन्दर-अन्दर वह बोर्ड के रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी को उक्त विषय में लिखित में तदर्थ सूचना देगा अन्यथा उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। एतद्विषयक किसी भी प्रकार की सूचना उक्त निश्चित समय में सदस्य द्वारा नहीं दी जाने की स्थिति में यह अनिवार्य रूप से मान लिया जावेगा कि प्रेषित विगताधिवेशन कार्यवाही में सदस्य को कोई भी आपत्ति, संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन अपेक्षित नहीं है तथा उक्त कार्यवाही सदस्य को अविकल रूप से स्वीकार है।

अधिवेशन कार्यवाही संचालनादि प्रकरण

20. **अधिवेशन कार्यवाही संचालन:**-राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम सन् 1953 की धारा 17 एवं धारा 20 (5) में नियत कोरम के अभाव में जैसी भी स्थिति हो बोर्ड व परामर्श समितियों का अधिवेशन कथमपि संभव नहीं होगा।

21. यदि नियत समय के 60 मिनट पश्चात् एक नियत कौरम की पूर्ति नहीं होगी तो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उस अधिवेशन को उनके द्वारा निश्चित किसी अग्रिम तिथि व समय के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

22. प्रत्येक विषय जिस पर बोर्ड में विचार किया जाना है, अनिवार्य रूप से :

(क) अध्यक्ष महोदय अथवा किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव या सुझाव के रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) या बोर्ड के रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी द्वारा अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विचारार्थ विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

23. यह अनिवार्य होगा कि बोर्ड में विचारणीय प्रत्येक विषय, प्रस्ताव व सुझाव देशीय चिकित्सा पद्धति के सर्वतोमुखी विकास तथा समभ्यास नियमन की, व्यवस्था से सम्बन्धित होने के साथ-साथ अधिनियम 1953 की परिधि में परिसीमित हों।

24. किसी विषय के निर्णय के अवसर पर मतदान होने की दशा में :

(क) उपस्थित सदस्य ही मतदान के अधिकारी होंगे।

(ख) मतदान या तो ध्वनिमत द्वारा (मौखिक) या हस्तोत्थापन या विभाजन द्वारा जैसा भी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार होगा।

25. विभाजन द्वारा मतदान की कार्य प्रणाली अध्यक्ष महोदय निश्चित करेंगे।

26. विभाजन मतदान द्वारा किए गए निर्णय को अध्यक्ष महोदय घोषित करेंगे और इस निर्णय को कहीं भी कथमपि चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

27. प्रत्येक प्रस्ताव (अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रस्तुत के अतिरिक्त) पर प्रस्तावक व समर्थक के हस्ताक्षर होने की दशा में विचार किया जा सकेगा, समर्थन के अभाव में प्रस्ताव को गिरा हुआ समझा जावेगा।

28. यदि कोई प्राप्त प्रस्ताव :

(क) अधिनियम की परिधि से बाहर है या,

(ख) किसी अन्य सदस्य द्वारा रख दिया गया है या,

(ग) विवादग्रस्त, कटुतापूर्ण एवं व्यक्तिगत आक्षेप का द्योतक है या,

(घ) प्रशासन की निरी आलोचना करने वाला तथा व्यंग्यात्मक शैली वाला हो तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे उक्त प्रकार के प्रस्ताव को विचार्यता हेतु अस्वीकृत कर दें ।

29. ऐसा उक्त आनियम सं. 25 के अनुसार अस्वीकृत प्रस्ताव उचित भाषा व शैली के संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष रूप से विचारार्थ स्वीकृत किया जा सकेगा ।

30. यदि कोई प्राप्त प्रस्ताव पूर्व में विचारित हो चुका हो तो विचार दिनांक से 6 माह तक उस पर पुनः विचार कथमपि नहीं किया जा सकेगा ।

31. प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में कोई भी सदस्य संशोधन प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा । बशर्ते अध्यक्ष महोदय उसे एतदर्थ स्वीकृति प्रदान करें । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक व अनिवार्य होगा कि ऐसा संशोधन प्रारूप प्रस्ताव की परिसीमा में ही हो ।

32. अधिवेशन में समस्त विचार-विमर्श हिन्दी भाषा में होंगे ।

33. विगताधिवेशन की कार्यवाही पढ़े जाने के बाद नियतावधि में प्राप्त तद्विषयक व्यापत्ति, संशोधन व परिवर्धन यदि कोई हो तो विचार होगा ।

34. एतद्विषयक निर्णयोपरान्त अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर उक्त कार्यवाही पर होंगे, तदन्तर उक्त कार्यवाही अनुमोदित की हुई समझ ली जाएगी ।

35. बोर्ड की गरिमा बनाए रखने का दायित्व प्रत्येक माननीय सदस्य का होगा ।

36. विवादित विषयों का निस्तारण बोर्ड के भीतर ही किया जा सकेगा ।

अध्याया—3
पंजीयन प्रकरण

37. अधिनियम 1953 की धारा 32 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा समभ्यासी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन करने का अधिकारी वही होगा जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम 1970 के अधीन विहित और उसकी द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अनुसूची में सम्मिलित कोई भी चिकित्सा अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता हो ।

38. पंजीयन का इच्छुक प्रार्थी निर्धारित आवेदन फॉर्म की पूर्ति कर हस्ताक्षरित फोटो आवेदन फार्म के नियत स्थान पर लगा कर निर्धारित शुल्क व विकास शुल्क का बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित आवश्यक प्रमाणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अंकतालिका सहित उक्त आवेदन पत्र डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर जैसा भी सम्भव हो बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

39. आवेदन फार्म के प्रत्येक कॉलम (कोष्ठक) की पूर्ति अनिवार्य रूप से स्वयं आवेदक द्वारा ही की जायेगी । अपूर्ण आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा ।

40. विश्व विद्यालय का प्रोविजनल प्रमाण-पत्र, मूल अंक तालिका कार्याभ्यास प्रमाण-पत्र पंजीयन हेतु मान्य समझी जावेगी । इस प्रकार के आवेदनकर्ता को पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया जावेगा ।

41. आवेदन फार्म निर्धारित कीमत जमा करा कर बोर्ड कार्यालय से या डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकेंगे ।

42. आवेदन फार्म प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अधिनियम व आनियम की एक-एक प्रति निर्धारित कीमत प्राप्त कर आवेदन फार्म प्राप्त करते समय ही लेना अनिवार्य होगा ।

सूचीबद्ध

43. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के समभ्यास हेतु बोर्ड पंजीयन/सूचीबद्ध कर सकेगा ।

44. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में एक वर्षीय प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा । रजिस्ट्रेशन के लिये एक वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा । सूचीबद्ध के लिये 15 वर्ष का प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा अनुभव पर्याप्त होगा ।

45. जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में मान्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधिधारी होंगे, उन्हे इस प्रशिक्षण की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा ।

अन्य प्रान्तों के रजिस्टर्ड/सूचीबद्ध चिकित्सकों का सूचीकरण

46. राजस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के बोर्ड (सी सी. आई. एम. से मान्यता प्राप्त) से रजिस्टर्ड ऐसे चिकित्सक जो राजस्थान में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं को अपने कार्य क्षेत्र, स्थान की सूचना बोर्ड में देनी होगी ।

47. ऐसे समभ्यासी को उनके रजिस्ट्रेशन एवं योग्यता प्रमाण-पत्रों की प्रति बोर्ड मे जमा करानी होगी, अन्यथा बोर्ड उनके विरुद्ध देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

48. बोर्ड ऐसे रजिस्ट्रेशन/योग्यता की सत्यता की जांच हेतु संबंधित संस्था को कह सकेगा।

49. ऐसे समभ्यासियों को नियमानुसार निर्धारित शुल्क प्राप्त कर पृथक् से सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

अध्याय 4

रिन्यूवल (नवीनीकरण)

50. इस बोर्ड द्वारा पंजीयत समभ्यासी के लिये अपने पंजीयन पत्र जारी होने की तिथि से हर पांच वर्ष के तत्काल बाद होने वाले माह के आरम्भिक 30 दिन के भीतर-भीतर अपने सम्बद्ध पत्र का रिन्यूवेल (नवीनीकरण) कराना अनिवार्य होगा।

51. रिन्यूवल (नवीनीकरण) आवेदन निर्धारित आवेदन फार्म में किया जावेगा। आवेदन फार्म निर्धारित कीमत पर बोर्ड कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

52. आवेदक द्वारा आवेदन फार्म के साथ ही निर्धारित रिन्यूवल शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भेजना अनिवार्य होगा।

53. रिन्यूवल के लिए समस्त वांछित पूर्ति कर आवेदन फार्म आवेदक स्वयं या डाक द्वारा रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन को प्रस्तुत करेगा।

54. आनियम संख्या 50 में निर्दिष्ट अवधि के बाद अग्रिम पन्द्रह दिन तक रिन्यूवल आवेदन अतिरिक्त निर्धारित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में नियमानुसार प्रस्तुत होने की स्थिति में भी उन पर विचार किया जा सकेगा।

55. उक्त अवधि के उपरान्त भी वांछित रिन्यूवल आवेदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्ध समभ्यासी को एक रजिस्टर्ड ए. डी.नोटिस पत्र अपेक्षित आवेदन फार्म सहित भेजा जावेगा, जिसमें यह अंकित होगा कि एतद् नोटिस पत्र प्रेषण तिथि से 15 दिन के अन्दर-अन्दर अतिरिक्त निर्धारित विलम्ब शुल्क सहित रिन्युवल आवेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा उसका नाम सम्बद्ध पंजिका से उसको बिना कोई अग्रिम सूचना दिए हटा दिया जावेगा।

56. उक्त रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस के बावजूद भी निर्धारित अवधि में

रिन्यूवल आवेदन तदर्थक शुल्कादि प्राप्त न होने की दशा में रजिस्ट्रार द्वारा सम्बद्ध समभ्यासी का नाम उसे कोई भी अग्रिम पूर्व सूचना दिए बिना ही सम्बन्धित पंजिका से निरस्त कर दिया जावेगा।

57. बोर्ड द्वारा प्रत्येक पंजीयित समभ्यासी को परिचय पत्र दिया जाएगा।

58. परिचय पत्र हेतु निर्धारित शुल्क एवं फोटो (पासपोर्ट साइज) समभ्यासी को देनी होगी।

59. परिचय पत्र पांच वर्ष के लिए वैध होगा।

अध्याय–5

डुप्लीकेट प्रमाण पत्र

60. बोर्ड द्वारा पंजीयित/सूचीबद्ध समभ्यासी के पंजीयन पत्र/चिकित्साधिकार पत्र गुम हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर या चोरी चले जाने पर उस सम्बन्धित समभ्यासी को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र हेतु बोर्ड में निर्धारित आवेदन फार्म में आवेदन करना होगा।

61. डुप्लीकेट प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फार्म निर्धारित शुल्क जमा करा कर बोर्ड कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे।

62. डुप्लीकेट प्रमाण पत्र इच्छुक समभ्यासी आवेदन फार्म की नियमानुसार पूर्ति कर पंजीयन पत्र/चिकित्साधिकार पत्र गुम/नष्ट हो जाने पर या चोरी चले जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (एफेडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

63. नियमित अभिपूर्ति युक्त आवेदन होने की दशा में उसकी सत्यता की प्रमाणिकता के अन्वेषण हेतु रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दैनिक समाचार पत्र में एतद् संबंधी सूचना आवेदनकर्ता के खर्चे से प्रकाशित कराई जाएगी। सूचना में अंकित अवधि के उपरान्त एवं तद्विषयक कोई आक्षेप प्राप्त न होने की दशा में ही डुप्लीकेट पत्र दिया जाएगा।

अध्याय–6

अतिरिक्त योग्यता अर्हता अंकित कराना

64. यदि किसी पंजीयित समभ्यासी ने पंजीयन के समय प्राप्त मान्य अर्हता के अतिरिक्त/अलावा कोई मान्य अर्हता उत्तीर्ण कर ली है और अपने पंजीयन पत्र में

72. इस बोर्ड से पंजीयित प्रत्येक समभ्यासी द्वारा रुग्ण प्रमाण पत्र व स्वस्थ प्रमाण पत्र दिए जाने के क्रम में यह अनिवार्य होगा कि :

(क) रुग्ण व स्वस्थ प्रमाण पत्र केवल मात्र बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार ही मुद्रित पत्रों में दिए जावें ।

(ख) रुग्ण व स्वस्थ प्रमाण पत्र की वांच्छनीय नियमित व सम्बद्ध परिपूर्ति स्वयं द्वारा ही की जावे ।

(ग) रुग्ण व्यवस्था पत्र में देशीय चिकित्सा-शास्त्रोक्त सिद्धोपधियों के नाम, शास्त्र प्रतिपादितानुसार ही लिखें व लिखाएं । कल्पित योग एवं पेटेन्ट योग वे ही लिखें जो ड्रग कन्ट्रोलर आयुर्वेद द्वारा स्वीकृत हों ।

(घ) रुग्ण व्यवस्था-पत्र में देशीय चिकित्सा शास्त्रोक्त सिद्धोपधियों व योगों के नाम सांकेतिक या ऐसे रूप में अंकित नहीं करें या करावें जिससे वह स्वयं लेखक या अन्य कोई खास अभिप्रेत व्यक्ति ही उस दुर्बोध एवं अप्रसिद्ध नाम को समझ सके ।

(च) सूचीबद्ध होने की स्थिति में स्वस्थ्य प्रमाण पत्र, रुग्ण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांच्छित प्रमाण पत्र किसी को भी कभी भी प्रदान नहीं करें,

(छ) रुग्ण व स्वस्थ्य प्रमाण पत्र किसी भी रूप से मिथ्या, निराधार, भ्रमात्मक, अनुचित एवं अनावश्यक कारणों से व तथ्यों पर आधारित नहीं हों ।

73. रुग्ण व स्वस्थ्य प्रमाण पत्र में अनियमितता गंभीर आपात्तिजनक व दण्डनीय होगी ।

74. बोर्ड द्वारा पंजीयित या सूचीबद्ध एवं अन्य प्रान्तीय बोर्ड से पंजीयित/सूचीबद्ध समभ्यासी, जो अल्पकाल के लिए राजस्थान क्षेत्र में किसी भाग में समभ्यास कराना चाहे । वे प्रचार सामग्री प्रकाशन में राज्य सरकार के नियमों का पालन करें ।

75. पेटेन्ट औषधि का प्रयोग अपेक्षित पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही करें ।

अध्याय–8
शिकायत व जाँच प्रकरण

76. किसी भी पंजीयित समभ्यासी के विरुद्ध देशीय चिकित्सा समभ्यास विषयक कोई भी शिकायत किसी व्यक्ति या राजकीय विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने पर आवश्यक व अपेक्षित जाँच बोर्ड के रजिस्ट्रार द्वारा नियमानुसार की जावेगी ।

उसे अंकित कराने का इच्छुक हो तो उसे निर्धारित आवेदन पत्र में उसे अंकित कराने का इच्छुक हो उसे निर्धारित आवेदन फार्म की अपेक्षित पूर्ति कर निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट, मूल पंजीयन व तदर्थ मान्य अर्हता का मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि सहित बोर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा।

65. सम्बद्ध नियमितता की समस्त पूर्ति होने के बाद आवेदक को उसका पंजीयन पत्र उसमें अतिरिक्त योग्यता/अर्हता अंकित कर वापिस दे दिया जावेगा।

66. अतिरिक्त योग्यता/अर्हता का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित उल्लेख सम्बद्ध पंजिका में यथास्थान किया जावेगा।

अध्याय–7
आचार संहिता

67. बोर्ड द्वारा पंजीयित या सूचीबद्ध के अलावा अन्य कोई व्यक्ति राजस्थान क्षेत्र में देशीय चिकित्सा का नियमित समभ्यास करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

68. अन्य प्रान्तीय बोर्ड से पंजीयित या सूचीबद्ध देशीय चिकित्सा समभ्यासी जो राजस्थान क्षेत्र के किसी भी भाग में स्वल्पतम काल के लिये समभ्यास करना चाहे/शिविर लगाना चाहे तो उन्हें रजिस्ट्रार से निर्धारित शुल्क जमा कराकर लिखित में अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

69. एसे समभ्यासी को तीन माह से अधिक काल तक राजस्थान के किसी भी भाग में ठहरने की स्थिति में नियमानुसार पंजीयन या सूचीबद्ध करना अनिवार्य होगा।

70. इस बोर्ड द्वारा पंजीयित व सूचीबद्ध प्रत्येक समभ्यासी से अनिवार्यतः वांछनीय होंगे कि:

(क) वह चिकित्सकीय यथावश्यक उपकरणों से युक्त किसी एक चिकित्सालय में नियमित रूप से बैठकर रोगियों का उपचार करें।

(ख) वह आयुर्वेद विभाग द्वारा निर्धारित रोगी रजिस्टर रखकर उसकी नियमित पूर्ति करेगा,

(ग) वह अपने पंजीयन प्रमाण पत्र को चिकित्सालय में इस तरह से यथास्थान लगाए ताकि प्रत्येक आगन्तुक का दृष्टिपात प्रमाण पत्र पर निर्बाध रूप से हो सके।

71. बोर्ड द्वारा पंजीयित/सूचीबद्ध प्रत्येक समभ्यासी अपने सम्पूर्ण चिकित्सा समभ्यास व्यवसाय में देशीय चिकित्सा पद्धतिकीय औषधी उपचारों, प्रयोगों व उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेगा।

77. नवीनीकरण (रिन्यूअल) के अवसर पर या अन्य सूचना प्राप्त होने पर या रजिस्ट्रार या बोर्ड के ध्यान में आ जाने पर शिकायत प्राप्ति के बिना भी आवश्यक व अपेक्षित जाँच बोर्ड के रजिस्ट्रार द्वारा यथाविधि भी की जा सकेगी।

78. शिकायत की नियमितता के क्रम में यह आवश्यक होगी कि शिकायतकर्ता:-

(क) शिकायत पत्र में अपना पूरा नाम व पूरा पता अंकित करेगा तथा अपने हस्ताक्षर स्वयं अपने हाथ से करेगा।

(ख) शिकायत की सत्यता के प्रमाण में वह एक शपथ पत्र भी शिकायत पत्र के साथ ही संलग्न करेगा।

(ग) शिकायत पत्र में उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, का पूरा नाम व पता भी अंकित होगा, तथा

(घ) शिकायत पत्र में शिकायत के तथ्यों का पूर्ण प्रमाणिक विवरण भी अंकित करेगा।

79. किसी राजकीय विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिकायत होने की स्थिति में आनियम 78 की परिपूर्ती आवश्यक नहीं होगी।

80. निम्न तथ्यों के विषय में की गई शिकायत पर ही विचारणीय कोटि में आ सकेगी :-

(क) अनियमित या अनुपयुक्त पंजीयन या चिकित्साधिकार के क्रम में

(ख) चिकित्साधिकार या पंजीयन के बिना ही राजस्थान क्षेत्र में समभ्यास करने के क्रम में

(ग) पंजीयित या सूचीबद्ध किये गए व्यक्ति के सम्बन्धित चिकित्सा, ज्ञान न्यूनता समभ्यास के कार्य में लापरवाही

(घ) आंचार संहिता में किसी आनियम या आनियमों के पूर्ण या आंशिक उल्लंघन या उपेक्षा या शैथल्य के क्रम में,।

(ङ) बोर्ड के या बोर्ड के रजिस्ट्रार के अवश्य पालनीय आदेशों, निदेशों, तथा अन्य आनियमों उप नियमों व नियमोंआदि के पूर्ण या आंशिक उल्लंघन या अपेक्षा या पालन न करने क्रम में शिकायत की जाँच

क्रम में शिकायतग्रस्त समभ्यासी से रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत के आधार पर एक रजिस्टर्ड नोटिस भेज कर उससे तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण 15 दिन में मांगा जावेगा ।

81. उक्त निर्धारित अवधि के बाद (स्पष्टीकरण प्राप्त हो या न हो) मौके पर जाकर रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत की जांच की जावेगी ।

82. शिकायतग्रस्त समभ्यासी को जाँच हेतु समय एवं स्थान निर्देश करते हुए रजिस्ट्रार के समक्ष सभी अभिलेख (रोगी रजिस्टर, रोगारोग, प्रमाण पत्र बुक, पंजीयन प्रमाण पत्र जिसके आधार पर चिकित्सा कार्य करते हो, योग्यता प्रमाण पत्र व अन्य) सहित साक्षातकारार्थ उपस्थित होने हेतु बचाव में प्रमाण यदि कोई हो तो प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा एक रजिस्टर्ड नोटिस दिया जावेगा ।

83. जाँच क्रम में शिकायत के निराधार एवं तथ्यहीन पाये जाने की स्थिति में शिकायत फाईल कर दी जावेगी ।

84. यदि जाँच में शिकायत सही पाई गई हो तो सम्बन्द्ध शिकायत ग्रस्त समभ्यासी को रजिस्ट्रार द्वारा 15 दिन का एक रजिस्टर्ड कारण बताओ नोटिस भेजा जावेगा ।

85. उक्त नोटिस के उत्तर स्वरुप कोई निवेदन प्रतिवेदन यदि नियतिवधि में प्राप्त हुआ हो तो सम्बद्ध विषय पर पर्याप्त विचार करने के उपरान्त रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह अध्यक्ष महोदय के समक्ष एतद् विषयक् मामलों में प्रस्तावित करेंगे कि:-

(क) सम्बद्ध दोषी व्यक्ति को भविष्य के लिए पाबन्द करने हेतु तदर्थ चेतावनी देवें, या

(ख) सम्बद्ध दोषी व्यक्ति के चिकित्साधिकारी या पंजीयन, जैसी भी स्थिति हो, को निरस्त करें, या

(ग) सम्बद्ध दोषी व्यक्ति के केस को आवश्यक दण्ड व्यवस्था हेतु सम्बद्ध अधिकृत दण्डनायक के समक्ष करने विपयक नियमानुसार अपेक्षित कार्य करें ।

(घ) यदि शिकायत निराधार एवं तथ्यहीन पायी जावे तो रजिस्ट्रार द्वारा अपने स्तर से शिकायत फाईल कर दी जावेगी ।

86. शिकायत मामलों का निर्णय शिकायत प्राप्त तिथि से सामान्यतया तीन मास के अन्दर-अन्दर किया जावेगा

87. राजस्थान-देशीय चिकित्सा अधिनियम सन 1953 की धारा 60 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए बोर्ड का रजिस्ट्रार ही शक्ति प्राप्त तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी माना जावेगा।

88. राजस्थान-देशीय चिकित्सा अधिनियम 1953 की धारा 42 (1) के भाग (ख) में निर्दिष्ट जाँच क्रम में भी उपयुक्त सम्बद्ध आनियम संख्या 76 से 86 तक के सभी आनियम यथापेक्षित सम्परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अध्याय–9

वित्तीय प्रावधान

89. सरकारी कोषागार कार्य करने वाले किसी बैंक में बोर्ड के नाम से अकाउण्ट खोला जावेगा तथा बोर्ड की समस्त धन राशियां इस बैंक में जमा कराई जायेंगी।

90. प्रत्येक शुल्क या व्यय देय आदि जो विभिन्न आवेदकों द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रेषणीय होगें अनिवार्यता डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में ही प्राप्त हो सकेंगे।

91. रजिस्ट्रार बोर्ड को भुगतान योग्य समस्त धनराशियाँ प्राप्त करेगा। वह अपने पास 5000 रु. से अधिक राशि नहीं रखेगा और अवशिष्ट राशि बैंक के अकाउण्ट में जमा कराई जायेगी।

92. वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये जायेंगे जिनकी लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किसी चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट (सनदी लेखाकार, द्वारा अथवा लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा की जावेगी।

93. प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में अथवा अन्य तारीख जो उससे पूर्व हो बोर्ड अधिवेशन में आगामी वर्ष के बजट के रूप में प्रस्तावित कर पारित कराना होगा तथा कुल खर्च के 50% अनुदान हेतु राज्य सरकार को लिखा जावेगा।

94. उक्त अनुमान में बोर्ड के दायित्वों को पूरा किये जाने के लिए तथा उसके उद्देश्यों को क्रियान्वित किये जाने के लिए प्रावधान होगा अनुमान में आय मदों की ओर साधारणतया तथा प्रत्याशित समस्त आय के साथ ही ऐसे अनुदान जो सरकार नियत करे और ऐसी शुल्क रजिस्ट्रीकरण और अन्य स्रोतों से प्राप्त हो सम्मलित होंगे।

95. बोर्ड द्वारा कोई ऐसा व्यय नहीं किया जावेगा जिसके लिए बजट में या अनुपूरक बजट अनुमान में यथा विधि प्रावधान नहीं किया हुआ हो ।

96. रजिस्ट्रार ऐसी धनराशियों को जो बोर्ड द्वारा प्राप्त या व्यय की जाये जनरल कैश बुक में तुरन्त ही लेखांकित करेगा ।

97. बैंक के नाम काटे गये 5000 (पांच हजार) रु. तक के चैकों पर रजिस्ट्रार एवं इससे अधिक धनराशि के चैकों पर अध्यक्ष अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जावे के हस्ताक्षर होंगे ।

98. बोर्ड समय-समय पर पंजीयन/विकास शुल्क में बढ़ोतरी कर सकेगा ।

99. बोर्ड में प्राप्त शुल्क अन्य व्यय देय आदि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जावेगा ।

100. बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्राविडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में वे ही नियम लागू होंगे जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

101. बोर्ड विकास शुल्क की राशि में से बोर्ड के भवन में परिवर्तन/परिवर्धन/कमरे बनाने/रंग रोगन/सफेदी/फर्नीचर/कम्प्यूटर एवं अन्य मशीन जो बोर्ड के उपयोग के लिए अनिवार्य हो खरीदने में व्यय कर सकेगा ।

102. बोर्ड की बैठक एवं अतिथि सत्कार के लिए रजिस्ट्रार 500 रु. तक की राशि व्यय कर सकेगा इससे अधिक राशि बोर्ड की स्वीकृति से व्यय की जा सकेगी ।

103. बोर्ड के सभी सदस्यों को यात्रा भत्ता राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत ही दिया जायेगा ।

104. बोर्ड समय-समय पर अध्यक्ष एवं सदस्यों का बैठक भत्ता निर्धारित कर सकेगा ।

105. बोर्ड के अध्यक्ष को 1500 रु. प्रतिमाह की दर से मानदेय भत्ता दिया जावेगा बोर्ड समय-समय पर इसमें बढ़ोतरी कर सकेगा । बोर्ड अध्यक्ष को अन्य सुविधायें एवं अधिकार राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष के समकक्ष प्राप्त होगी ।

106. बोर्ड के विकास शुल्क में से अध्याय 1 के क्र. सं. 1 से 8 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय किया जा सकेगा ।

अध्याय–10

सूची प्रकाशन

107. बोर्ड का रजिस्ट्रार एक वर्ष में होने वाले पंजीयन धारकों की सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित करेगा । वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर माना जायेगा ।

108. बोर्ड के पूर्व पंजीयन धारकों की सूची प्रकाशन में दो अलग-अलग सूची में प्रकाशित होगी ।

(क) ऐसे वैद्य एवं हकीम जो भरतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की निर्धारित योग्यता रखते हैं ।

(ख) ऐसे वैद्य एवं हकीम जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं ।

109. बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूची बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर कोई भी व्यक्ति क्रय कर सकेगा ।

110. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन राजस्थान के सदस्यों के निर्वाचन में केवल पंजीयित व्यक्ति ही मतदान में भाग ले सकेंगे ।

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	Regd. No RJ 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published byAuthority*

अग्रहायण 21, शुक्रवार, शाके 1919— दिसम्बर 12, 1997
Agrahayan 21, Friday, Saka 1919—December12, 1997

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिये टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सर्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि ।

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान

महावीर उद्यान के पास
बजाज नगर, जयपुर–302017

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 3,1997

संख्या 2097 :- बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन की बैठक दिनांक 21-3-97 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजीयन शुल्कों में वृद्धि की जाकर शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं :-

1.	पंजीयन शुल्क	1,000/-
2.	अतिरिक्त योग्यता अंकन शुल्क	100/-
3.	डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्क	500/-
4.	विकास शुल्क	200/-
5.	परिचय-पत्र शुल्क	100/-
6.	नवीनीकरण शुल्क (5 वर्ष के लिए)	500/-

उक्त शुल्क 1 जनवरी, 1998 से प्रभावित होंगे ।

श्याम सुन्दर वशिष्ठ
रजिस्ट्रार,
बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन,
राजस्थान, जयपुर ।